REET 2025
LEVEL-1&2
वंदन बैच
POLITY
पंचायतीराज
LIVE
07-02-2025 07:00 PM

REET POLITY

① बलवंत राय मेहता समिति

→ 1957

→ त्रिस्तरीय पंचायतीराज

ग्राम स्तर - ग्राम पंचायत

मध्यम स्तर - पंचायत समिति

जिला स्तर → जिला पंचायत

REET POLITY

② अशोक मेहता समिती –(1977 - 78)

- गठन-मोरार जी देशाई द्वारा
- द्विस्तरीय पंचायतीराज की सिफारिश
- मण्डल स्तर - मण्डल पंचायत
- जिला स्तर -जिला परिषद
- कार्यकाल - 4वर्ष
- SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण
- राजनैतिक दलों की भागीदारी का सुझाव

REET POLITY

③ G.V.K राव समिति - 1985 (राजीव गांधी सरकार द्वारा)

- इस समिति में पंचायतीराज संस्थाओ को बिना जड़ की घास कहा
- इस समिति ने 4 स्तरिय पंचायती राज की सिफारिश की

▪ ग्राम स्तर	-	ग्राम पंचायत
▪ मण्डल स्तर	-	मण्डल पंचायत
▪ जिला स्तर	-	जिला परिषद
▪ राज्य स्तर	-	राज्य विकास परिषद

REET POLITY

प०.बंगाल में चार स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था है

- इस समिति ने राज्य वित आयोग सिफारिश की का गठन की सिफारिस की
- SC/ST महिला को आरक्षण
- जिला विकास आयुक्त का पद सृजन करने की मांग की

REET POLITY

लक्ष्मी मल सिंघवी समिति -1986 [राजीव गांधी सरकार)

- त्रिस्तरिय पंचायती राज संस्थाओ का सुझाव
- संवैधानिक दर्जा
- ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति
- पंचायती राज को tax लगाने की शक्ति

L.M. सिंघवी

REET POLITY

P.K. थ्नगुन समिति :- 1988 [1989]

P.K. थुंगन समिति

- संवैधानिक दर्जा देने की मोग
- SC/ST महिलाओ को आरक्षण
- कार्यकाल - 5वर्ष.

REET POLITY

पंचायती राज का संवैधानिकरण :-

राजीव गांधी सरकार द्वारा - 64 वां CA 1989

संविधान संशोधन -1989

- लोकसभा में पारित
- राज्यसभा में पारित नही हुआ

REET POLITY

73 वां संविधान संसोधन 1992

लोकसभा में पारित	-	22 Dec. 1992
राज्यसमा में पारित	-	23 dec. 1992
राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर	-	20AP-1993
लागु -	-	24 AP 1993
प्रधानमंत्री	-	P.V. नरसिम्हा राव
राष्ट्रपति	-	शंकर दयाल शर्मा
राज. cm	-	भैरोसिंह शेखावत [वावोस]
राज्यपाल	-	मर्रीचन्ना रेडडी

पंचायती राज दिवस

REET POLITY

संविधान में भाग 9

संविधान संशोधन

- अनु. 243- 243 0
- 11वी अनुसूची -[29 विषय]

- इस CA के बाद 01 वर्ष की अवधि के भीतर सभी राज्यी को इसे बनाने का प्रावधान किया गया।
- कर्नाटक पहला राज्य बना था (73वा CA लागु करते 9 may 1993)
- पहला राज्य जिसने 73 CA लागु होने के बाद पंचायतीराण के चुनाव करवाये –MP June1994

मध्यप्रदेश

REET POLITY

राजस्थान सरकार द्वारा -

- राज. पंन्चायती राज ACT – 1994 23 AP-1994 को लागू किया

9वी → 1st संविधान संशोधन → 1951 → भू. सुधार

10वी → 52th संविधान संशोधन → 1985 → दलबदल

11वी → 73th संविधान संशोधन → 1993 → पंचायतीराज

12वी → 74th संविधान संशोधन - 1993 → नगरीय स्वशासन

REET POLITY

73 वे संविधान संसोधन के प्रमुख प्रावधान

अनु 243 –

- भाग-9 से जुडी परिभाषाएं

अनु 243 A –

- ग्राम सभा के कार्यों व शक्तियों का उल्लेख
- ग्राम सभा एक संवैधानिक निकाय है।

ग्राम सभा
↓
संवैधानिक संस्था

REET POLITY

अनु. 243 B :- पंचायतो का गठन

B.R. मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था अपनाई गई

बलवन्त राय मेहता

- ग्राम स्तर = ग्राम पंचायत
- मध्य स्तर = पंचायत समिति
- जिला स्तर = जिला परिषद

➢ 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यो मे त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था न होकर द्विस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था होगी

➢ वहा पंचायत समिति का प्रावधान नही है।

REET POLITY

अनु. 243 C

पंचायतो की संरचना

ग्राम पंचायत →

		चुनाव	शपथ	त्यागपत्र
अध्यक्ष	सरपंच	प्रत्यक्ष	निर्वाचन अधिकारी	ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)
उपाध्यक्ष	उपसरपंच	अप्रत्यक्ष		
सदस्य	वार्डपंच	प्रत्यक्ष		→ सरपंच

REET POLITY

अनु. 243-D :- आरक्षण

- SC/ST = जनसंख्या के अनुपात में
- महिलाओ को 1/3 [Note. 2009 के बाद राज. मे 50%, आरक्षण]
- OBC को आरक्षण –विधानमण्डल तय करेगा

Note ⇒ कृषि राज्य सूची का विषय है।

REET POLITY

अनु. 243E :- पंचायतो का कार्यकाल

- सामान्यत: 5 वर्ष होता है
- पद रिक्त , विघटन या त्यागपत्र की स्थिति में 6 माह की अवधि में चुनाव होने आवश्यक है।
- दुबारा चुनाव शेष अवधि के लिए होगे

REET POLITY

243 G

पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यों, शक्तियां तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख

243 H

पंचायतीराज संस्थाओ की कर अध्यारोपित करने की शक्ति